

2

आदेश

तहसीलदार औरैया की स्थलीय जाँच आख्या दिनांक 15.06.2018 धारा 80 (1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत स्वीकार की जाती है तथा मौजा फरीदपुर परगना व जिला औरैया की खतौनी वर्ष 1424-1429फ0 के खाता सं0 04 की गाटा सं0 339 रकवा 1.7320हे0 व खाता सं0 5 की गाटा सं0 337 रकवा 1.4570हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है, तथा मालगुजारी क्रमशः 80.00 रू0 व 59.65 रू0 से अवमुक्त की जाती है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी होंवें। आदेश की एक प्रति सब-रजिस्ट्रार औरैया को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर होंवें।

दिनांक - 28/6/2018
[Signature]



(अमित कुमार)
उपजिलाधिकारी
औरैया।



29
... 28/06/18
विश्वनाथ सिंह
... 13 ... 8 किला ह्यम्य
... 4.15 ...
... 28/06/18
... 29/06/18

एकल करी कोर्टी स्टैट मशीन
मालगु करी
[Signature]
29/06/18

